

प्रवासी प्रजातियों पर अभसिमय

प्रलिमिस के लिये:

बॉन कन्वेंशन (UNEP/CMS), मध्य एशियाई फ्लाईवे, माइक्रो-प्लास्टिक और सगिल-यूज प्लास्टिक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972

मेन्स के लिये:

प्रवासी प्रजातियों पर अभसिमय और भारत द्वारा किये गए प्रयास

चर्चा में क्यों?

प्रयावरण, वन और जलवायु परविरतन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र प्रयावरण कार्यक्रम/प्रवासी प्रजातियों पर अभसिमय (United Nations Environment Programme/Convention on Migratory Species- UNEP/CMS) के सहयोग से मध्य एशियाई फ्लाईवे (Central Asian Flyway- CAF) में प्रवासी पक्षियों एवं उनके आवासों के संरक्षण प्रयासों को मज़बूत करने हेतु पक्षकार देशों की एक बैठक आयोजित की।

- बैठक में आरमेनिया, बांग्लादेश, कज़ाखस्तान, करिगजिस्तान, कुवैत सहित 11 देशों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों ने CAF के लिये एक संस्थागत ढाँचे और CMS/CAF कार्ययोजना को अद्यतन करने हेतु एक मसौदा रोडमैप पर सहमतिप्राप्ति की।

CMS:

- परिचय:
 - यह **UNEP** के तहत एक अंतर-सरकारी संधि है जिसे बॉन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है।
 - इस पर वर्ष 1979 में हस्ताक्षर किये गए थे और यह 1983 से लागू है।
 - **CMS** में 1 मार्च, 2022 तक 133 पक्षकार हैं।
 - भारत भी वर्ष 1983 से CMS का एक पक्षकार है।
- लक्ष्य:
 - इसका उद्देश्य स्थलीय, समुद्री और एवयिन प्रवासी प्रजातियों को उनकी सीमा में संरक्षित करना है।
 - यह वैश्विक सतर पर संरक्षण उपायों को संचालित करने के लिये कानूनी नीव रखता है।
 - CMS के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते और कम औपचारिक समझौता ज्ञापन भी कानूनी साधनों के रूप में संभव हैं।
- CMS के तहत दो प्रशिष्टिः
 - प्रशिष्ट I 'संकटग्रस्त प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।
 - प्रशिष्ट II 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता वाली प्रवासी प्रजातियों' को सूचीबद्ध करता है।
- भारत और CMS:
 - भारत ने साइबरियन क्रेन (1998), समुद्री कछुए (2007), डुर्गोंग (2008) और रैप्टर (2016) के संरक्षण एवं प्रबंधन पर CMS के साथ गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding- MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।
 - भारत दुनिया के 2.4% भूमिक्षेत्र के साथ ज्ञात वैश्विक जैवविविधि में लगभग 8% का योगदान देता है।
 - भारत कई प्रवासी प्रजातियों को अस्थायी आश्रय भी प्रदान करता है जिनमें अमूर फालकन, बार-हेडेड गीज़, ब्लैक-नेक्ड क्रेन, समुद्री कछुए, डुर्गोंग, हंपवैक वहेल आदि शामिल हैं।
- प्रवासी प्रजातियाँ:
 - जंगली पशुओं की एक प्रजाति अथवा नचिले शरणी के टैक्सोन, (जैवकि वर्गीकरण के विज्ञान में प्रयुक्त इकाई) जिसकी पूरी आबादी अथवा आबादी का कोई भौगोलिक रूप से अलग हसिसा चक्रीय रूप से और अनुमानित रूप से एक या एक से अधिक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के पार जा सकता है।
 - "चक्रीय रूप से" पद कर्सी भी प्रकार के चक्र को संदर्भित करता है, जिसमें जलवायु, जैवकि और खगोलीय (सरकैडिन, वार्षकि आदि) चक्र शामिल हैं।
 - पद "अनुमानित रूप से" का तात्पर्य है कि एक घटना की कुछ प्रकार की स्थितियों के तहत पुनरावृत्ति होने की उम्मीद की जा


सकती है, हालाँकि जिरूरी नहीं कि यह समय-समय पर नियमित रूप से हो।

मध्य एशियाई फ्लाईवे:

- मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) पक्षियों के लिये एक प्रमुख प्रवासी मार्ग है, जो आरक्टिक महासागर से हिंद महासागर तक 30 देशों तक फैला हुआ है।
 - भारतीय उपमहाद्वीप CAF का एक हस्तिका है जहाँ 182 प्रवासी जलपक्षी प्रजातियों (29 विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों सहित) के कम-से-कम 279 आबादी भारत में पाई जाती है।
 - भारत में प्रवासी पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियाँ हैं, जनिमें साइबेरियन क्रेन और लैसर वाइट फ्रंट गूज़ जैसे संकटग्रस्त और लुपत्पराय प्रजातियाँ शामिल हैं।

फ्लाईवे:

- फ्लाईवे अपने वारषकि चक्र के दौरान पक्षियों के एक समूह द्वारा उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र है जिसमें उनके प्रजनन क्षेत्र, ठहराव क्षेत्र और सरदियों के क्षेत्र शामिल हैं।
- CMS सचिवालय ने पक्षियों के प्रवास के संबंध में वैश्वकि स्तर पर नौ प्रमुख फ्लाईवे की पहचान की है।



प्रवासी प्रजातियों के लिये भारत द्वारा किये गए प्रयास:

- प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना (2018-2023): भारत ने मध्य एशियाई फ्लाईवे की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की है।
 - प्रवासी पक्षियों द्वारा सामना की जाने वाली वभिन्न समस्याओं जैसे- नवास स्थान का नुकसान, निम्नीकरण और विखंडन, अवैध शक्तिर, प्रदूषण और जलवायु परविरतन का प्रबंधन करके इन प्रजातियों के महत्वपूर्ण आवासों तथा प्रवासी मार्गों पर दबाव कम करने का प्रयास।
 - प्रवासी पक्षियों की संख्या में कमी को रोकना और वर्ष 2027 तक इस परिवेश को संतुलित करना।
 - आवासों और प्रवासी मार्गों के खतरों से बचाना और भावी पीढ़ियों के लिये उनकी स्थिरता सुनिश्चित करना।
 - प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिये मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ-साथ वभिन्न देशों के बीच सीमा पार सहयोग का समर्थन करना।

- प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों पर डेटाबेस में सुधार करना ताकि उनके संरक्षण आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।
 - भारत के अन्य प्रयासः
 - समुद्री कछुओं का संरक्षण: वर्ष 2020 तक समुद्री कछुआ नीति और समुद्री स्ट्रैंडिंग प्रबंधन नीतिकी शुरुआत।
 - माइक्रो प्लास्टिक और सागिल युज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण में कमी।
 - बाघ, एशियाई हाथी, हमि तेंदुओं, एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा और ग्रेट इंडियन बस्टरड जैसी प्रजातियों के संरक्षण के लिये सीमा पर संरक्षणीय क्षेत्र।
 - पारस्िथितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में अनुकूल विकास के लिये रैखिक अवसंरचना नीति दिशा-निर्देशों जैसे सतत बुनियादी ढाँचे का विकास।
 - परोजेक्ट सनो लेपरड (PSL): PSL को हमि तेंदुओं और उनके आवास के संरक्षण के लिये एक समावेशी और भागीदारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2009 में लॉन्च किया गया था।
 - दुर्गांग संरक्षण रजिस्टर: भारत ने तमलिनाडु में अपना पहला दुर्गांग संरक्षण रजिस्टर स्थापित किया है।
 - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:
 - प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है जिससे उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होती है।
 - इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है।
 - पक्षियों और उनके आवासों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिये इस अधिनियम के तहत प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षणीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
 - अन्य पहलें:
 - नगालैंड राज्य में अमर फालकन्स, जो दक्षिणी अफ्रीका की ओर अपनी यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर भारत में प्रवास करते हैं, की सुरक्षा के लिये केंद्रीय सुरक्षा उपाय किये गए हैं। इन उपायों में स्थानीय समुदायों द्वारा सहायता भी शामिल है।
 - भारत ने गिरिधों के संरक्षण के लिये कई कदम उठाए हैं जैसे- डाइक्लोफेनाक के पश्च चकितिसा उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, गिरिध प्रजनन केंद्रों की स्थापना आदि।
 - वन्यजीव अपराध नियंत्रण बयरो की स्थापना वन्यजीवों तथा उनके अंगों एवं उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिये की गई है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति युग्मों पर विचार कीजये: (2020)

अंतर्राष्ट्रीय समझौता/संगठन विषय

1. अल्मा-आटा घोषणा: लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल
 2. हेंग समझौता: जैवकि एवं रासायनिक शस्त्र
 3. तालानोआ संवादः वैश्वकि जलवायु परिवर्तन
 4. अंडर2 गठबंधनः बाल अधिकार

उपयुक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलति है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
 - (b) केवल 4
 - (c) केवल 1 और 3
 - (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तरः C

- **अलमा-आटा घोषणा:** इसे वर्ष 1978 में अलमाटी, कज़ाखस्तान में आयोजित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनाया गया था। इसने सभी सरकारों, स्वास्थ्य देखभाल शरमकों तथा विकास कार्यकर्ताओं के प्राथमिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया। **अतः युग्म 1 सही सुमेलति है।**
 - **हेग समझौता:** विभिन्न विधियों पर हेग समझौते की एक शुरुआत है जैसे- सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिये अभियान, अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग समझौता आदि। लेकिन यह जैविक और रासायनिक हथियारों से संबंधित नहीं है। **अतः युग्म 2 सही सुमेलति नहीं है।**
 - **तालानोआ संवाद:** इस संवाद को वर्ष 2017 में बॉन (जर्मनी) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP 23) में लॉन्च किया गया था। तालानोआ एक पारंपरिक शब्द है जिसका उपयोग फजी और पूरे प्रशांत क्षेत्र में समावेशी, भागीदारी एवं पारदर्शी संवाद की प्रक्रिया को दर्शाने के लिये किया जाता है। तालानोआ का उद्देश्य कहानियों को साझा करना, सहानुभूतिका नरिमाण करना तथा सामूहिक भलाई के लिये विकिपूरण नरिण्य लेना है। **अतः युग्म 3 सही सुमेलति है।**
 - **अंडर2 गठबंधन:** अंडर2 गठबंधन राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का एक वैश्विक समुदाय है जो पेरसि समझौते के अनुरूप महत्त्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई के लिये प्रतबिद्ध है। गठबंधन 220 से अधिक उप-राष्ट्रीय सरकारों को एक साथ लाता है जो 1.3 बिलियन से अधिक लोगों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 43 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ भारत से इस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता हैं। हस्ताक्षरकर्ता समतिवैश्विक तापमान वृद्धिको 1.5 डिग्री सेलसियस तक पहुँचने के प्रयासों

के साथ 2 डिग्री सेलसियस से नीचे रखने के लिये प्रतबिद्ध है। अतः युग्म 4 सही सुमेलति नहीं है।
■ अतः वकिलप (c) सही उत्तर है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/convention-on-migratory-species>

